**न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), रामसनेहीघाट, कोर्ट सं०- 14, बाराबंकी**

R.S. No.178/2023

CNR No UPBB180002782023

रवीन्द्र कुमार बनाम नवल किशोर।

**02.09.2025**

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर प्रतिवादिनी उपस्थित। वादिनी अनुपस्थित।

प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र ग-16 मय शपथ पत्र ग-17 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी के विरूद्ध वादी ने दावा बंटवारा का न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमेंप्रतिवादी को जरिये न्यायालय सूचना प्राप्त हुई।प्रतिवादी जरिये न्यायालय सूचना प्राप्त होने के उपरान्त न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष दिनांक 01.09.2023 को हाजिर आया और अपने हस्ताक्षर पत्रावाली पर बनाये किन्तु दैनीय स्थिति खराब होने के कारण किसी अधिवक्ता का वकालतनामा दाखिल नही कर सका और इसके बाद भी कई बारप्रतिवादी न्यायालय पर आया और पत्रावली पर अपने हस्ताक्षर बनाये। दिनांक 04.12.2024 को प्रतिवादी ने जरिये अधिवक्ता वकालतनामा प्रस्तुत किया और पत्रावली पर अपने हस्ताक्षर बनाये किन्तु न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2024 को ही आदेश पारित किया गया कि प्रतिवादी के जवाब दावा दाखिल करने का अवसर समाप्त किया जाता है और पत्रावली एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की जाती है। दिनांक 04.12.2024 के बाद से भी प्रतिवादी ने कई बार अपने हस्ताक्षर पत्रावली पर बनाये जो पत्रावली में मौजूद है। प्रतिवादी द्वारा कोई भी गलत जानबूझकर नही की गयी है जो लायक माफी है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि आदेश दिनांकित 04.12.2024 रिकाल करते हुए प्रतिवादी को अपना जवाब दावा दाखिल करने का अवसर दिये जाने की कृपा करें।

वादी की ओर से आपत्ति ग-18 मय शपथ पत्र ग-19 प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र महज वाद को लम्बित करने तथा न्यायालय श्रीमान जी का समय व्यर्थ करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी लगातार न्यायालय श्रीमान जी पर उपस्थित आता रहा है और तमाम अवसर प्रदान करने के बावजूद अदालत की कार्यवाही को अग्रसरित होने से बचता रहा जिससे प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसरित की गयी है। प्रार्थना पत्र प्रतिवादी आदेश दिनांक 04-12-2024 को वापस लिये जाने हेतु दिनांक 24-07-2025 को प्रस्तुत किया गया है किन्तु इतने विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाबत कोई कारण नहीं बतलाया गया है और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। सुनवाई के माध्यम से पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार पक्षों का नैसर्गिक अधिकार है, इसे प्रक्रियात्मक विधियों के माध्यम से पराजित नहीं किया पर सकता है। गुण-दोष के आधार पर मामलें का निस्तारण किया जाना न्यायहित में है। जहां तक विलम्ब से हुई हानि का प्रश्न है तो उसकी पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र ग-16 हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रार्थना पत्र ग-16 मु० 450/- रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है। तदनुसार आपत्ति ग-18 निस्तारित की जाती है। आदेश दिनांकित 04.12.2024 वापस लिया जाता है।

पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 05.11.2025 को पेश हो।

**(सोनम शर्मा)**

सिविल जज (जू०डि०),रामसनेहीघाट,

न्यायालय सं० 14, बाराबंकी।

**UP 3540**